UPFD010006392016



न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 7, फिरोजाबाद।

उपस्थितः श्री विजय कुमार आजाद (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण संख्या - 30/2016

उत्तर प्रदेश राज्य

----अभियोजन पक्ष।

बनाम

- 1- राजू पुत्र रशीद निवासी मोहम्मद गंज, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 2- मोहसिन अख्तर पुत्र अजीज निवासी मो० राजपूताना थाना दक्षिण, फिरोजाबाद।
- 3- हादी हसन अंसारी पुत्र स्व० एजाज हुसैन, नि० बगिया, थाना दक्षिण, फिरोजाबाद।
- 4- सगीर उर्फ भेडिया पुत्र बहाबुद्दीन, नि० मोहम्मद गंज, थाना दक्षिण, फिरोजाबाद।
- 5- तनवीर पुत्र छोटे पहलवान निवासी मौ० कुरैशियान थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 6- **मेहताब** पुत्र ताज निवासी मौ० कुरैशियान थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 7- मुबीन पुत्र रशीद निवासी मोहम्मद गंज, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 8- नासिर पुत्र नादिर निवासी दुर्गेशनगर, थाना रसूलपुर, जिला फिरोजाबाद।
- 9- इमरान पुत्र ताज निवासी मौ० कुरैशियान थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 10- सलमान पुत्र जमील निवासी फारूखीगेट, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 11- रिजवान पुत्र ताज निवासी मौ० कुरैशियान थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 12- कमाल पुत्र कल्लू निवासी दुर्गेशनगर, थाना रसूलपुर, जिला फिरोजाबाद।
- **13 अजहर** पुत्र कदीर निवासी मोहम्मद गंज, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 14- आकिल पुत्र मौ० हनीफ निवासी मौ० कुरैशियान थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 15 सगीर पुत्र बहाव निवासी पुराना रसूलपुर थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 16- भूरा उर्फ सहीसुद्दीन पुत्र शरीफ निवासी मोहम्मद गंज, थाना दक्षिण, फिरोजाबाद।
- 17- गुलाम हुसैन उर्फ शानू पुत्र कल्लू निवासी मौ० कुरैशियान थाना दक्षिण, फिरोजाबाद।
- 18- अख्तर पुत्र नफीस निवासी उर्वशी रोड बिगया, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 19- नईम उर्फ लोटा पुत्र इस्लाम निवासी मुस्लिमाबाद, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 20- जहुर पुत्र शकूर निवासी मौ० कुरैशियान थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 21- फरमान उर्फ सहेवाला पुत्र जहूर निवासी मौ०कुरैशियान थाना दक्षिण, फिरोजाबाद।
- 22- कालिया उर्फ राजू पुत्र बशीर निवासी मोहम्मद गंज, थाना दक्षिण, फिरोजाबाद।
- 23- पोपट पुत्र मुश्ताक निवासी नालबन्द चौराहा, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।

- 24- खलील उर्फ जला पुत्र शकूर निवासी मौ० कुरैशियान थाना दक्षिण, फिरोजाबाद।
- 25- संजय पुत्र मुश्ताक निवासी नालबन्द चौराहा, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- **26 रहीश** पुत्र शमशुद्दीन निवासी उर्वशी रोड, नालबन्द, थाना दक्षिण, फिरोजाबाद।
- 27- नईम पुत्र निजामुद्दीन निवासी मौ० कुरैशियान थाना दक्षिण,जिला फिरोजाबाद।
- 28- सगीर निवासी मौ० कुरैशियान थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 29- नरुद्दीन पुत्र नसीरुद्दीन निवासी मोहम्मद गंज, थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद।
- 30- जमील उर्फ दुरुआ पुत्र फखरूद्दीन निवासी कुरैशियान थाना दक्षिण, फिरोजाबाद।

...... अभियुक्तगण।

मु०अ०संख्या- 180/2012

धारा-147,148,307/149,353,336,337 भा०दं०सं० व 7 क्रि० लॉ अमेण्डमेंट एक्ट। थाना-दक्षिण, जिला- फिरोजाबाद।

विद्वान अधिवक्ता अभियोजन- श्री प्रिय प्रताप सिंह, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) अधिवक्ता अभियुक्तगण- श्री अब्दुल नगीन, श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री शाहबाज कमर, श्री शिराजुद्दीन एवं श्री अब्दुल सलाम।

निर्णय

वादी तहरीर के आधार पर थाना दक्षिण पर मु०अ०संख्या 180/2012 अन्तर्गत धारा-147, 148, 307/149, 353, 336, 337 भा०दं०सं० व 7 क्रि० लॉ अमेण्डमेंट एक्ट सरकार बनाम राजू आदि पंजीकृत करके मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी। अभियुक्तगण 1. मोहसिन, 2. सगीर पुत्र छोटे पहलवान, 3. जहूर पुत्र शकूर, 4. 2-खलील उर्फ जला, 5. जमील दूरु 6. तनवीर 7. सगीर 8. मुबीन 9. राजू 10. गुलाम हुसैन, 11. हादी हसन अंसारी, 12. कमाल, 13. रहीस, 14. अजहर, 15. रहीशउद्दीन उर्फ भूरा पुत्र शमसुद्दीन, 16. संजय, 17. आकिल, 18. नासिर, 19. राजू पुत्र वसीर, 20. मौ० नईम पुत्र निजामुद्दीन, 21. मेहताब 22. सगीर उर्फ भेड़िया, 23. नईम पुत्र इस्लाम 24. नरूद्दीन, 25. फरमान पुत्र जहूर 26. अख्तर पुत्र नफीस 27. पोपट 28. ईमरान 29. रिजवान, 30. सलमान 31. कादिर व 32. मुश्ताक 33. जहूर पुत्र अब्दुल शकूर के विरूद्ध थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा मु०अ०संख्या 180/2012 अन्तर्गत धारा-147, 148, 307/149, 336, 337, 353 भा०दं०सं० व धारा 7 क्रि० लॉ अमेण्डमेंट एक्ट में आरोपपत्र विवेचक द्वारा अवर न्यायालय में प्रेषित किया गया। अवर न्यायालय द्वारा आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के उपरान्त कुछ अभियुक्तगण जो न्यायालय में पहले उपस्थित आ गये और उनकी पत्रावली सत्र न्यायालय में दिनांक 16-01-2016 को कमिट की गयी। सत्र न्यायालय

से स्थानान्तरण के उपरान्त इस न्यायालय को विधिनुसार विचारण हेतु प्राप्त हुई। वादी द्वारा 67 अभियुक्तगण के विरूद्ध एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी थी उनमें से 33 अभियुक्तगण के विरूद्ध अवर न्यायालय में पहले आने पर उनकी पत्रावली सत्र सुपुर्द कर दी गयी। उक्त 33 अभियुक्तों का विचारण ही इस न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अभियुक्तगण 31. कादिर व 32. मुश्ताक की मृत्यु हो चुकी है जिनके विरूद्ध इस वाद की कार्यवाही विधिनुसार संचालित करके क्रमशः दिनांक 10-08-2017 एवं दिनांक 07-01-2021 को उपशमित की जा चुकी है। अभियुक्त 33. जहूर पुत्र अब्दुल शकूर व जहूर पुत्र शकूर थाना, मोहल्लावासी तहरीर एवं मेहजबी बेगम पार्षद की आख्यानुसार एक ही व्यक्ति है। अन्ततः शेष 30 अभियुक्तगण का बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० दिनांक 18-01-2021 को अंकित किया गया।

- 3- बहस के दौरान अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अभियोजन द्वारा पी०डब्लू० 4 साक्षी विक्रम सिंह तोमर (प्रथम विवेचक) की मुख्य परीक्षा में चप्पल व ईंट पत्थर के टुकड़ों, खोखा कारतूस, सील्ड कपड़ें आदि वस्तुओं पर भी 'प्रदर्श क' अंकित करा दिया है जो उचित नहीं है। अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि उक्त साक्ष्य उनके द्वारा अंकित नहीं कराई गयी है बल्कि पूर्व न्यायालय में अंकित होने के उपरान्त अन्तरण से पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की उपरोक्त आपत्ति उचित है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्क में बल है अतः इस निर्णय में पी०डब्लू० 4 साक्षी विक्रम सिंह तोमर (प्रथम विवेचक) की मुख्य परीक्षा में अंकित चप्पल व ईंट पत्थर के टुकड़ों की फर्द प्रदर्श क-4 को वस्तु प्रदर्श- 4, दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर की फर्द प्रदर्श क-5 को वस्तु प्रदर्श क-6 को वस्तु प्रदर्श क-8 को वस्तु प्रदर्श क-5 को वस्तु प्रदर्श क-8 को वस्तु प्रदर्श क-8 को वस्तु प्रदर्श क-8 को वस्तु प्रदर्श क-9 को वस्तु प्रदर्श क-8 को वस्तु प्रदर्श क-10 को वस्तु प्रदर्श क-10 एवं सील्ड कपड़ें वस्तु प्रदर्श क-9 को वस्तु प्रदर्श-11 पढ़ा जायेगा।
- 4- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 16-02-2012 को समय करीब 19.45 बजे वादी एस० ओ० आशीष कुमार को सूचना मिली कि मौ० कुरेशियान, मौ० मोहम्मद गंज व मौ० बिगया के कुछ अराजक तत्व पूर्व नियोजित तरीके से महिला से छेड़खानी व चुनावी माहौल बिगाड़ने व जाति विशेष को लामबन्द करने के आशय से एकत्र होकर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। सूचना पर अधिकारियों को अवगत कराते हुए सिटी कन्ट्रोल रूप को अतिरिक्त पुलिस बल उर्वशी चौराहे पर भेजने हेतु बताया। वादी मय पुलिस बल मौके पर पहुँचा तो देखा कि करीब चार-पांच सौ व्यक्ति घातक हथियारों से सुसज्जित होकर उर्वशी चौराहे पर आने जाने वाले राहगीरों व दुकानदारों के ऊपर ईंट पत्थर फेंक रहे है जिससे आने

जाने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में छिप गये। आस पास के लोग अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बन्द करके घरों के अन्दर बन्द हो गये। पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास करने पर पुलिस पर भी ईंट पत्थरों से मारपीट करने लगे तथा जान से मारने की नियत से फायर किया। का० योगेश कुमार व का० सुधीर कुमार को ईंट पत्थर से चोटें आयी। मौके पर भगदड़ मचने से लोक व्यवस्थता पूर्ण रूप से भंग हो गयी। मौके पर जनपद के समस्त पुलिस एवं जिला प्रशासन के अधिकारीगण व थानों की पुलिस व पी०ए०सी आ गयी जिनके सहयोग से स्थित पर नियंत्रण पाया गया।

5- न्यायालय द्वारा दिनांक 26-04-2016 को अभियुक्तगण 1. मोहसिन, 2. सगीर पुत्र छोटे पहलवान, 3. जहूर पुत्र शकूर, 4. खलील उर्फ जला, 5. जमील दूरु 6. तनवीर 7. सगीर 8. मुबीन 9. राजू 10. गुलाम हुसैन, 11. हादी हसन अंसारी, 12. कमाल, 13. रहीस, 14. अजहर, 15. रहीशउद्दीन उर्फ भूरा पुत्र शमसुद्दीन, 16. संजय, 17. आकिल, 18. नासिर, 19. राजू पुत्र वसीर, 20. मौ० नईम पुत्र निजामुद्दीन, 21. मेहताब 22. सगीर उर्फ भेड़िया, 23. नईम पुत्र इस्लाम 24. नरूद्दीन, 25. फरमान पुत्र जहूर 26. अख्तर पुत्र नफीस 27. पोपट 28. ईमरान 29. रिजवान, 30. सलमान 31. कादिर व 32. मुश्ताक 33. जहूर पुत्र अब्दुल शकूर के के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 147, 148, 307/149, 353, 336, 337 भा०दं०सं० व 7 क्रि० लॉ अमेण्डमेंट एक्ट में आरोप विरचित किया गया, आरोपों से अभियुक्तगण ने इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

6- अभियोजन की ओर से उक्त आरोपों को सिद्ध किये जाने हेतु निम्नलिखित साक्षी परीक्षित कराये गये -

अभियोजन साक्षी	साक्षी का नाम	साबित किये गये प्रदर्श
पी०डब्लू०-1	एस० ओ० आशीष	आह्त साक्षी/चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श
	कुमार	क-1 व वापसी नकल रपट की फोटो प्रति
		प्रदर्श क-2
पी०डब्लू०-2	प्रवीन कुमार	
पी०डब्लू०-3	का० दिनेश कुमार	
पी०डब्लू०-4	विक्रम सिंह तौमर	नक्शा नजरी प्रदर्श क–3, चप्पल व ईंट पत्थर के
	(प्रथम विवेचक)	टुकड़ों की फर्द वस्तु प्रदर्श- 4, दो अदद खोखा
		कारतूस 315 बोर की फर्द वस्तु प्रदर्श- 5, पाँच
		चप्पल वस्तु प्रदर्श -5, सील्ड कपड़ें वस्तु प्रदर्श
		-6 , ईंट पत्थर के टूकड़े वस्तु प्रदर्श -7
		सील्ड कपड़ें वस्तु प्रदर्श- 8 दो खोखा कारतूस

		315 बोर वस्तु प्रदर्श –9 व वस्तु प्रदर्श –10 सील्ड कपड़ें वस्तु प्रदर्श –11 ,
पी०डब्लू०-5	राकेश कुमार सिंह (द्वितीय विवेचक)	आरोप पत्र प्रदर्श क–6
पी०डब्लू०-6	का० योगेश कुमार	आहत साक्षी
पी०डब्लू०-7	का० सुधीर कुमार	आहत साक्षी
पी०डब्लू०-8	डॉ० अरविन्द	मेडीकल रिपोर्ट प्रदर्श क-7, प्रदर्श क-8 व
	कुमार अग्रवाल	प्रदर्श क-9,

अभियोजन साक्षी-1 वादी एस० ओ० आशीष कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन है कि वह दिनांक 16-02-2012 को थाने में बतौर थाना प्रभारी तैनात था। समय करीब 19.45 बजे सूचना मिली कि उर्वशी चौराहे पर मौ० कुरेशियान, मौ० मोहम्मद गंज व मौ० बिगया के कुछ अराजक तत्व पूर्व नियोजित तरीके से महिला की छेड़खानी की अफवा फैलाकर चुनावी माहौल बिगाड़ने व जाति विशेष को लामबन्द करने के उद्देश्य से ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। सूचना पर अधिकारियों को अवगत कराते हुए सिटी कन्ट्रोल रूप को अतिरिक्त पुलिस बल उर्वशी चौराहे पर भेजने हेतु बताया। वह मय पुलिस बल व का० योगेश कुमार व का० सुधीर कुमार को साथ लेकर मौके पर पहुँचा तो देखा कि करीब चार-पांच सौ व्यक्ति घातक हथियारों से सुसज्जित होकर उर्वशी चौराहे पर आने जाने वाले राहगीरों व दुकानदारों के ऊपर ईँट पत्थर फेंक रहे है जिससे आने जाने वाले लोगों में भगदड़ मच गई। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों में छिप गये। लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर छिपे हैं। आस पास के लोग अपने अपने घरों के खिड़की दरवाजे बन्द करके घरों के अन्दर बन्द हो गये। पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास करने पर पुलिस पर भी ईंट पत्थरों से मारपीट करने लगे तथा जान से मारने की नियत से फायर करने लगे जिससे का० योगेश कुमार व का० सुधीर कुमार के चोटें आयी। लोक व्यवस्थता पूर्ण रूप से भंग हो गयी। मौके पर जनपद के समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारीगण व थाना प्रभारीगण के सहयोग से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। समस्त अधिकारीगण घटना स्थल पर मौजूद थे। उस दौरान मेरे बायें कान पर चौट लगी थी जिसकी मेडिकल परीक्षण करवाया गया था। घटना की सूचना मैंने थाना हाजा पर लौटकर दी थी जिसकी चिक एफ०आई०आर० की प्रति पत्रावली पर मौजूद कागज सं०- 3 अ पर मौजूद है जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। वापसी नकल रपट की फोटो प्रति पत्रावली में कागज सं० - 38 व / 1 लगायत 38 व / 2 मौजूद है जिसकी मूल जी० डी० साथ लाया हूँ, से मिलान कर **प्रदर्श क-2** डाला गया।

- 8- अभियोजन साक्षी- 2 प्रवीन कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन है कि वह दिनांक 16-02-2012 को थाना अध्यक्ष थाना लाइनपार तैनात था। तैनाती के दौरान उस दिन शाम को करीब 20.00 बजे सूचना मिली थी। कन्ट्रोल रूम फिरोजाबाद द्वारा बताया गया कि तत्काल दंगा निरोधक उपकरण के साथ मय थाने की पुलिस फोर्स के थाना दिक्षण क्षेत्र में उर्वशी चौराहे पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा पथराव व बलवा किया जा रहा है। मौके पर पहुँचकर दिक्षण पुलिस उपनिरीक्षक आशीष कुमार के साथ मिलकर शान्ती व्यवस्था में सहयोग करें। सूचना पर वह उर्वशी चौराहे पर पहुँचा जहाँ उसके अलावा अन्य कई थानों की फौर्स मौजूद थी। बाजार की दुकाने बन्द थी तथा पब्लिक के व्यक्तियों में भगदड़ का माहौल था। चौराहे के आस-पास बिगया में ईंट पत्थर पड़े थे। उपनिरीक्षक आशीष व उनके हमराही चोट लगने से घायल अवस्था में मौके पर मौजूद थे। उच्चाधिकारियों के आदेशनुसार मौके पर मौजूद पुलिस बल के साथ बलवा कारियों को तितर-बितर किया गया तथा मौके पर शान्ति व्यवस्था वापस करने में सहयोग किया गया। उक्त बलवे के सम्बन्ध में एस०एस०आई० आशीष द्वारा थाना दक्षिण पर अभियोग पंजीकृत कराया गया।
- 9- अभियोजन साक्षी- 3 का० दिनेश कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 16-02-2012 को वह एस०ओ० आशीष कुमार व मय पुलिस बल के साथ थाना दक्षिण से रपट संख्या 24 समय 18.35 बजे वास्ते शान्ति व्यवस्था थाना क्षेत्र में रवाना होकर पेमेश्वर गेट पर पहुँचे तो समय करीब 19.45 बजे सूचना मिली कि उर्वशी चौराहे पर मौ० कुरेशियान, मौ० मोहम्मद गंज व मौ० बिगया के कुछ अराजक तत्व पूर्व नियोजित तरीके से महिला की छेड़खानी की अफवा फैलाकर चुनावी माहौल बिगाड़ने व जाति विशेष को लामबन्द करने के उद्देश्य से एकत्रित होकर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। सूचना पर अधिकारियों को अवगत कराते हुए सिटी कन्ट्रोल रूप को अतिरिक्त पुलिस बल उर्वशी चौराहे पर भेजने हेतु बताया। मैं व एस०ओ० साहब व एक और हमराही को साथ लेकर मौके पर पहुँचा तो देखा कि करीब चार-पांच सौ लोग पथराव कर रहे है। उनके पास घातक हथियार भी थे। मैं एस०ओ० साहब के साथ उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने हम पर भी पथराव करना शुरू कर दिया जिससे एस०ओ० साहब व का० योगेश कुमार व का० सुधीर कुमार के गम्भीर चोटें आयी। जनपद के समस्त पुलिस क्षेत्राधिकारीगण व थाना प्रभारीगण फौर्स के साथ मौके पर पहुँचे। सभी अभियुक्तगणों के विरुद्ध एस०ओ० साहब ने मुकदमा कायम कराया।
- 10- अभियोजन साक्षी- 4 विक्रम सिंह तौमर (प्रथम विवेचक) ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 16-02-2012 को मैं थाना दक्षिण में बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उस दिन इस अभियोग की विवेचना मुझे सुपुर्द हुई जिसकी अपराध संख्या 180/2012 धारा 147, 148, 149, 307, 336, 337, 353 भा०द०सं व 7 क्रि॰ ला॰ अमेन्डमेन्ट एक्ट है। नक्शा नजरी पत्रावली पर कागज संख्या 5 अ/1 है जो मेरे हस्तलेख व

हस्ताक्षर में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 7 अ/1 चप्पल व ईंट पत्थर के टुकड़ों की फर्द है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर वस्तु प्रदर्श- 4 डाला गया। मौके से बरामद दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर की फर्द पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 7 अ / 2 है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर वस्तु प्रदर्श- 5 डाला गया। साक्षी का० किशन सिंह, का० योगेश कुमार, का० उस्मान खाँ, का० दिनेश कुमार व का० सचिन कुमार के बयान अंकित किये। एक किता सील्ड बन्डल जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 180/2012 धारा 147, 148, 149, 307, 336, 337, 353 भा०द०सं व 7 क्रि० ला० अमेन्डमेन्ट एक्ट थाना दक्षिण अंकित है। खोलने पर जिसमें **पाँच** चप्पल निकली जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श- 5 डाला गया। सील्ड कपड़ों पर वस्तु प्रदर्श-6 डाला गया। एक किता सील्ड बन्डल जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 180/2012 अंकित है जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं, खोलने पर जिसमें ईंट पत्थर के टूकड़े निकले जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श- 7 व सील्ड कपड़ें पर वस्तु प्रदर्श- 8 डाला गया। एक किता सील्ड बन्डल जिस पर मुकदमा अपराध संख्या 180/2012 धारा 147, 148, 149, 307, 336, 337, 353 भा०द०सं व 7 क्रि० ला० अमेन्डमेन्ट एक्ट अंकित है। सील्ड बन्डल खोलने पर दो खोखा कारतूस 315 बोर निकले जिन पर क्रमशः वस्तु प्रदर्श- 9 व वस्तु प्रदर्श-10 डाला गया तथा सील्ड कपड़ें पर वस्तु प्रदर्श- 11 डाला गया।

अभियोजन साक्षी- 5 राकेश कुमार सिंह (द्वितीय विवेचक) ने अपने 11-सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 04-05-2012 को उक्त अभियोग की विवेचना मेरे सुपुर्द हुई थी तथा मैंने विवेचना ग्रहण की थी। दिनांक 20-05-2012 को पर्चा नं 7, दिनांक 28-05-2012 को पर्चा नं 8, दिनांक 09-06-2012 को पर्चा नं 9, दिनांक 22-06-2012 को पर्चा नं 10, दिनांक 06-07-2012 को पर्चा नं 11, दिनांक 08-07-2012 को पर्चा नं 12 किता किया गया। अभियुक्तगण खलील आदि के विरूद्ध **आरोप पत्र** प्रस्तुत किया गया जिसकी आरोप पत्र संख्या 205/2012 मुकदमा अपराध संख्या 180/2012 अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 307, 336, 337, 353 भा०द०सं व 7 क्रि० ला० अमेन्डमेन्ट एक्ट प्रस्तुत किया गया जो पत्रावली पर कागज सं०- 4 अ/2 है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ जिस पर प्रदर्श क-6 डाला गया। अभियोजन साक्षी- 6 का० योगेश कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 16-02-2012 को वह थाना दक्षिण में तैनात था। मेरी ड्यूटी प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक थी। शान्ति व्यवस्था देखने हेतु उर्वशी चौराहे पर मौजूद था तभी वहाँ पर चार-पांच सौ लोगों की भीड़ ईंट पत्थर फेकते हुए उर्वशी चौराहे की तरफ आ रही थी तथा मुस्लिम महिला को छेड़ने के आरोप लगाते हुए उपद्रव करने लगी। हम लोगों ने रोकने का प्रयास किया तो हम लोगों को भी ईंट पत्थर से मारने लगे जिससे मेरे पत्थर लगने से बायें पैर में चोट लग गयी। का० किशन सिंह ने एस०ओ० साहब को उक्त घटना के बारे में अवगत कराया। एस०ओ० महोदय मय फोर्स के घटना स्थल पर पहुँचे। पत्थर फेंकने वाले उपद्रवियों की ओर बढ़कर उन्हें रोकने व समझाने का प्रयास किया तो उपद्रवियों ने एस०ओ० महोदय व उनके हमराहिओं पर भी पत्थर फेंके जिससे एस०ओ० महोदय व का० सुधीर कुमार भी घायल हो गये। उर्वशी चौराहे पर किसी भी मुस्लिम महिला के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं हुई थी। उपद्रवी केवल चुनावी माहौल को बिगाड़ने व शान्ति व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से अफवा फैलाकर पथराव कर रहे थे। मैंने अपनी चोट का मुआयना उसी दिन रात्रि में समय 11 बजे कराया जो पत्रावली में मौजूद है।

- 34 अभियोजन साक्षी 7 का० सुधीर कुमार ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि दिनांक 16-02-2012 को वह थाना दक्षिण में तैनात था। जैसे ही हम ड्यूटी समाप्त करके उर्वशी चौराहे पर पहुँचे तो वहाँ पहले से ही चार-पांच सौ लोगों की भीड़ इकट्ठा थी। जो कि एक दूसरे पर ईंट पत्थर फेक रहे थे तथा फायर कर रहे थे। हमने भीड़ को समझाने का प्रयास किया किन्तु भीड़ एक दूसरे को मारने पर उतारू थी। सूचना पर एस०ओ० साहब भी आ गये थे तथा और काफी फोर्स भी आयी थी। पुलिस फोर्ट को देखकर पुलिस फोर्ट पर भीड़ ने ईट पत्थर बरसाये थे जिससे मेरे चोट आयी थी जिसकी डाक्टरी मैंने सरकारी अस्पताल फिरोजाबाद जाकर करवायी थी। मेरे साथ अन्य थानों की फोर्स भी मौजूद थी जिसमें और भी पुलिस वालों को चोट आयी थी। मुस्लिम महिला को छेड़ने का झूठा आरोप लगाते हुए उपद्रव कर रहे थे।
- 14- अभियोजन साक्षी- 8 डॉ० अरविन्द कुमार अग्रवाल ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 16-02-2012 को जिला अस्पताल फिरोजाबाद में चेस्ट फिजीशियन के पद पर तैनात था। इमरजेन्सी ड्यूटी के दौरान चुटैल योगेश कुमार पुत्र सूरजभान निवासी थाना दक्षिण जो स्वयं के द्वारा समय 10.50 pm रात को आया था पहचान चिन्ह काला मोल बायीं हसली के बीच में था।

चोटें:- बायें टखने पर सूजन थी जिसके किनारे स्पष्ट नहीं थे और बायें टखने के मूमेंट सामान्य नहीं थे।

रायः - चोट को एक्सरे के लिए प्रेषित किया गया । चोट ताजा थी।

उसी रात 10.40 pm पर श्री सुधीर चौधरी पुत्र वीरेन्द्र सिंह निवासी थाना दक्षिण जो स्वयं आये थे जिनका पहचान चिन्ह गले के दायी तरफ काला तिल था।

चोटें: – नीलगू निशान 12 x 12cm लाल रंग का दाहिनी जंघा के बीच में बाहरी तरफ था। रायः – मेरी राय में चोट साधारण थी जो किसी कुन्द चीज कठोर चीज से आयी थी। चोट ताजा थी।

उसी रात 10.30 pm पर श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र लेखराज गंगवार निवासी थाना दक्षिण जो स्वयं आये थे जिनका पहचान चिन्ह हसली के ऊपर दाहिनी तरफ काला तिल था। चोटें: – गले के बायी तरफ निचले जबड़े के किनारे सूजन थी जिसके किनारे स्पष्ट नहीं थे।

सूजन के ऊपर रगड़ा हुआ निशान 1 x 2 cm का हेयर लाइन पर था

रायः – मेरी राय में चोट साधारण थी जो किसी कुन्द चीज कठोर चीज से आयी थी। चोट
ताजा थी।

तीनों रिपोर्ट मेरे हस्तलेख में तैयार की गयी थी जिस पर मेरे हस्ताक्षर है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ जो पत्रावली में 6 अ/1 मेडीकल रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है जिस पर प्रदर्श क-7 डाला गया तथा 6 अ/2 मेडीकल रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है जिस पर प्रदर्श क-8 डाला गया और 6 अ/3 पत्रावली में संलग्न है जिस पर प्रदर्श क-9 डाला गया।

- 15 अभियोजन ने अन्य कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया है।
- 16— अभियुक्तगण 1. मोहसिन, 2. सगीर पुत्र छोटे पहलवान, 3. जहूर पुत्र शकूर, 4. खलील उर्फ जला, 5. जमील दूरु 6. तनवीर 7. सगीर 8. मुबीन 9. राजू 10. गुलाम हुसैन, 11. हादी हसन अंसारी, 12. कमाल, 13. रहीस, 14. अजहर, 15. रहीशउद्दीन उर्फ भूरा पुत्र शमसुद्दीन, 16. संजय, 17. आकिल, 18. नासिर, 19. राजू पुत्र वसीर, 20. मौ० नईम पुत्र निजामुद्दीन, 21. मेहताब 22. सगीर उर्फ भेड़िया, 23. नईम पुत्र इस्लाम 24. नरूद्दीन, 25. फरमान पुत्र जहूर 26. अख्तर पुत्र नफीस 27. पोपट 28. ईमरान 29. रिजवान, 30. सलमान का बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्रं०स० दिनांक 18–01–2021 को अंकित किया गया। अभियुक्तगण द्वारा अधिकांश कथनों को गलत, असत्य व निराधार बताया व झूंठा गवाही देना कहा, गलत विवेचना कर गलत अभिलेख तैयार किया जाना व गुडवर्क दिखाने के लिए, झूठा फंसाया कहा है। बचाव में कोई सफाई साक्ष्य देना नहीं कहा है।
- 17- मैंने अभियोजन की ओर से श्री प्रिय प्रताप सिंह, विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री अब्दुल नगीन, श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा, श्री शाहबाज कमर, श्री शिराजुद्दीन एवं श्री अब्दुल सलाम की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।
- 18- अभियोजन एवं अभियुक्तगण द्वारा अपने पक्ष कथन के समर्थन में कोई विधि-व्यवस्था दाखिल नहीं की गयी है।
- 19- उपरोक्त साक्ष्य की विवेचन से पूर्व आरोपित अपराध पर भी एक नजर डालना जरूरी है।

- 20- धारा 147 भारतीय दण्ड संहिता: बल्वा करने के लिए दण्ड जो कोई बल्वा कनरे का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।
- 21- धारा 148 भारतीय दण्ड संहिता:- घातक आयुध से सज्जित होकर बल्वा करना- जो कोई घातक आयुध से, या किसी ऐसी चीस से, जिससे आक्रामक आयुध के रूप में उपयोग किये जाने पर मृत्यु कारित होनी सम्भाव्य हो, सज्जित होते हुए बल्वा करने का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।
- 22- धारा 149 भारतीय दण्ड संहिता:- विधि विरुद्ध जमाव का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए किए गये अपराध का दोषी यदि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य द्वारा उस जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अपराध किया जाता है, या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसका किया जाना उस जमाव के सदस्य उस उद्देश्य को अग्रसर करने में सम्भाव्य जानते थे, तो हर व्यक्ति, जो उस अपराध के किये जाने के समय उस जमाव का सदस्य है, उस अपराध का दोषी होगा।
- 23- धारा 307 भारतीय दण्ड संहिताः- हत्या करने का प्रयत्न- जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा, और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहित कारित हो जाये, तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से दण्डनीय होगा, जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।
- 24- धारा 336 भारतीय दण्ड संहिताः कार्य जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जो कोई इतने उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करेगा कि उससे मानव जीवन या दूसरों का व्यक्तिक क्षेम संकटापन्न होता हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो सौ पचास रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।
- 25- धारा 337 भारतीय दण्ड संहिताः- ऐसे कार्य द्वारा उपहित कारित करना, जिससे दूसरों का जीवन या वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए- जो कोई ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई कार्य करने द्वारा, जिससे मानव जीवन या दूसरों का वैयक्तिक क्षेम संकटापन्न हो जाए, किसी व्यक्ति को उपहित कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

- 26- धारा 353 भारतीय दण्ड संहिताः लोक सेवक को अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से भयोपरत करने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति पर, जो लोक सेवक हो, उस समय जब वैसे लोक सेवक के नाते वह उसके अपने कर्त्तव्य का निष्पादन कर रहा हो, या इस आशय से कि उस व्यक्ति को वैसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के निर्वहन से निवारित करे या भयोपरत करे या ऐसे लोक सेवक के नाते उसके अपने कर्त्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में की गई या की जाने के लिए प्रयतित किसी बात के परिणामस्वरूप हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अविध दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दिण्डित किया जायेगा।
- 27- धारा 7 क्रिमिनल ला अमेण्डमेंट एक्ट- नियोजन या कारबार पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हुए किसी व्यक्ति को उत्पीड़ित करना- (1)- जो कोई किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कार्य के करने से प्रविरत करने के या ऐसे कार्य को करने के आशय से जिसे ऐसे व्यक्ति को करने का या करने से प्रविरत रहने का अधिकार है ऐसे व्यक्ति को या उसके परिवार के किसी सदस्य को या उसके नियोजन में किसी व्यक्ति को बाधित करेगा या उसके प्रति हिंसा का प्रयोग करेगा या अभित्रास देगा या ऐसे स्थान पर या उसके निकट चक्कर काटेगा जहाँ ऐसा व्यक्ति या सदस्य या नियोजित व्यक्ति निवास करता है या काम करता है या कारोबार चलाता है या होता है, या उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक लगातार पीछा करेगा या उसके स्वामित्व के या उसके द्वारा प्रयुक्त सम्पत्ति में हस्तक्षेप करेगा या उसे उसके उपयोग से वंचित करेगा या प्रतिबाधित करेगा या जहाँ कोई व्यक्ति कारोबार चलाता है, उस स्थान पर या उसके निकट चक्कर काटेगा या कोई ऐसा ही कार्य इस प्रकार और इस आशय से करेगा कि कोई व्यक्ति तद्द्वारा ऐसे स्थान में प्रवेश करने या पहुंचने या व्यवहार करने से भयोपरात हो जाए, वह कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुमनि से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दिण्डित किया जायेगा।
- 28- अब न्यायालय को यह देखना है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं प्रेलेखिय साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाया गया आरोप संदेह से परे साबित होते हैं या नहीं ?
- 29- वादी एस० ओ० आशीष कुमार तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण ने थाना दक्षिण में घटना दिनांक 16-02-2012 समय करीब 19.45 बजे की एफ०आई०आर० उसी दिन 22.00 बजे घटना के लगभग 02.15 घण्टे बाद दर्ज करायी। एफ०आई०आर० जुबानी सूचना के आधार पर वादी को समय करीब 19.45 पर सूचना मिली कि उर्वशी चौराहे पर मौ० कुरेशियान, मौ० मोहम्मद गंज व मौ० बिगया के कुछ अराजक तत्व पूर्व नियोजित तरीके से महिला की छेड़खानी की अफवाह फैलाकर चुनावी माहौल बिगाड़ने व जाति विशेष को लामबन्द

करने के उद्देश्य से एकत्र होकर ईंट पत्थर फेंक रहे हैं। सूचना जरीये आर० टी० सैट अधिकारियों व सिटी कन्ट्रोल रूम को अवगत कराते हुए अतिरिक्त पुलिस बल उर्वशी चौराहे पर भेजने हेतु बताया। वादी अपने साथ का० योगेश कुमार व का० सुधीर कुमार को लेकर मौके पर पहुँचा तो देखा कि करीब चार-पांच सौ की संख्या में लोग घातक हथियारों से सुसज्जित होकर उर्वशी चौराहे पर आने जाने वाले राहगीरों व दुकानदारों के ऊपर ईंट पत्थर फेंक रहे है जिससे भगदड़ मच गई और लोग दुकान व अपने घरों के दरबाजे बन्द करके छिप गये है। हमारे द्वारा समझाने का प्रयास किया गया तो हम पर भी ईंट पत्थरों से मारपीट करने लगे तथा जान से मारने की नियत से फायर करने लगे जिससे मेरे, का० योगेश कुमार व का० सुधीर कुमार के चोटें आयी। वादी ने एफ०आई०आर० में मौके पर असुरक्षा की भावना और लोक व्यवस्था भंग होना बताया और मौके पर दो सेक्शन पी०ए०सी० पुलिस लाइन से व जनपद के सभी पुलिस व प्रशासनिक उच्चाधिकारियो व थाना प्रभारीगण के सहयोग से स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करने के लिए पी०डब्लू० 1 आशीष कुमार को परीक्षित कराया है जिसने अपनी जिरह में कहा कि उर्वशी चौराहे पर 400-500 लोगों की भीड़ पथराव कर रही थी। ये सभी लोग सड़क पर थे। ईंट घरों व दुकानों पर फेकी जा रही थी। ईंट पत्थर किन मकानों व दुकानों पर फेंके नहीं बता सकता। मैंने नाम पता उन लोगों के नहीं पूछे। अभियोजन ने कोई स्वतंत्र साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया है जिसने न्यायालय में साबित किया हो कि आरोपित मुल्जिमान द्वारा उनके मकान पर ईँट पत्थर फेंके हो। साक्षी ने अपने बयान में स्वयं स्वीकार किया कि चुनाव का समय था, यह अफवाह फैलाई गयी कि सूफी साहब की मजार पर जाने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी की अफवाह उड़ायी गयी थी। जबिक ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। मुझे घटनास्थल पर ऐसी कोई महिला नहीं मिली। साक्षी ने आगे कहा कि 400-500 लोगों में कुछ के पास तमंचे, लाठी व पत्थर थे परन्तु तमंचे, लाठी व पत्थर किस-किस के पास थे, बताने में असमर्थ रहा है और यह कहा कि मेरी कनपटी पर पत्थर लग गया था, बेहोश नहीं हुआ था केवल खून निकला था और चोट लगने के बाद भी घटना स्थल नहीं छोड़ा था। 'फस्ट ऐड' जिला अस्पताल में 10.30 बजे ली थी। प्रदर्श क-9 साक्षी की आहत आख्या से स्पष्ट है कि साक्षी आशीष के कान पर कोई भी चोट आना डाक्टर द्वारा अपने चिकित्सीय आख्या में अंकित नहीं की गयी है। पी०डब्लू० 8 डा० अरविन्द अग्रवाल द्वारा बायीं जबड़े के किनारे पर सूजन और सूजन के ऊपर हेयर लाइन होना कहा है इन दोनों चोटों के अलावा और किसी चोट का अंकन डाक्टर द्वारा आहत आख्या में नहीं किया गया है। साक्षी के कान पर कोई चोट डाक्टर को परीक्षण के समय नहीं मिली इसी कारण डाक्टर द्वारा उक्त चोट की अंकना अपनी आहत आख्या में नहीं की गयी है। ईंट लगने से खून मेरे कान के पास से निकला था जिससे मेरे कपड़े खराब हो गये थे। खून आलूदा कपड़े मैंने विवेचक को नहीं दिये थे। कान के पास जो मेरे चोट थी उससे गम्भीर रूप से खून निकल रहा

था जबिक चिकित्सक द्वारा साक्षी के कान में कोई भी चोट आना और उससे खून बहना अपनी चिकित्सीय आख्या में उल्लेखित नहीं किया है।

- साक्षी ने भीड़ के कारण उन लोगों के नाम नहीं पूछ पाया जो दुकानों व घरों में छिप गये थे। 20 थानों की पुलिस आ गयी क्योंकि उस दिन क्राइम मीटिंग के कारण अन्य थानों के लोग शहर जिला मुख्यालय पर आये थे। साक्षी ने एफ०आई०आर० में जनपद के समस्त थानों की पुलिस के अलावा दो सेक्शन पी०ए०सी० को भी घटना स्थल पर मौजूद होना कहा है जबिक पी०ए०सी० का क्राइम मीटिंग से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। समस्त जिले की पुलिस उच्चाधिकारियों सहित तथा दो सेक्शन पी०ए०सी० वादी की सूचना मिलने से एफ०आई०आर० होने तक मात्र सवा दो घण्टे के अन्दर घटना स्थल पर आर०टी० सैट से प्राप्त सूचना के आधार पर पहुंचना अविश्वसनीय प्रतीत होता है। साक्षी ने इस कथन को भी स्वीकार किया है कि जनता के किन-किन व्यक्तियों के चोट आयी मुझे नहीं पता है। साक्षी ने कहा कि भीड़ को कन्ट्रोल करने में करीब डेढ़ घण्टा लगा। पूरी व्यवस्था कन्ट्रोल करने में समय कुछ दिन का लगा। साक्षी के कथनानुसार उसने 400-500 लोगों की भीड़ जो घातक आयुध से सुसज्जित थी, परन्तु पूरी व्यवस्था को कन्ट्रोल करने में करीब डेढ़ घण्टा लगा फिर कहा कई दिन का समय लगा। कैसे लगा ? इसको साबित करने में असमर्थ रहा है। साक्षी ने कहा कि वह भीड़ में किसी का भी चेहरा नहीं पहचान पाया। जिस दिन दंगा हुआ उस दिन सूफी साहब का उर्स था। दरगाह मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में शहर की आबादी से 7-8 किलोमीटर दूर थी। मुझे जनता का कोई भी पीड़ित व्यक्ति नहीं मिला क्योंकि मौके पर मेरे पहुँचते ही मैं स्वयं घायल हो गया था। 400-500 व्यक्तियों की भीड़ समुदाय विशेष की आवाज लगा रही थी लेकिन नेता विशेष की आवाज नहीं लगा रही थी। साक्षी ने कहा कि स्थिति इतनी विस्फोटक थी कि गिरफ्तारी मौके पर सम्भव नहीं हो पायी जबिक मौके पर समस्त जनपद की थाना पुलिस के साथ दो सेक्शन पी०ए०सी० और पुलिस व प्रशासन के उच्चाधिकारी भी मौजूद थे परन्तु उपद्रवी जो घातक हथियारों से सुसज्जित थे उनमें से किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी न किया जाना अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।
- 32- नक्शा उसी रात 12 बजे के बाद दिनांक 17-02-2012 को बना था और विवेचक ने चप्पल आदि भी बरामद किये थे जो घटना के दूसरे दिन बरामद किये थे और साक्षी की उपस्थित अथवा निशानदेही पर बरामद नहीं किये थे। जनता की निशानदेही पर बरामद किये थे। उसी तिराहे के आसपास दुकानों में तोड़-फोड़ हुई थी कुछ दुकानों में हुई थी। मैंने पूछताछ नहीं की। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने कोई असला बरामद नहीं किया। घटनास्थल पर विवेचक को खोखे मिले थे, मेरे सामने कब्जे में नहीं लिये ना ही सील किये। मेरे सामने निरीक्षण के दौरान कोई भी चीज सील नहीं हुई।

साक्षी ने कहा कि मुझे कोई पीड़ित महिला नहीं मिली। मैंने चप्पले बरामद नहीं 33-की न कराई। 17 तारीख को विवेचक घटना घटित होते समय ही पहुँच गये थे जबकि एफ०आई०आर० में घटना दिनांक 16-02-2012 की होना अंकित है फिर विवेचक घटना होते समय कैसे पहुँचे जबकि 17 तारीख को कोई घटना ही कारित नहीं हुई? न्यायालय में हाजिर मुल्जिमान को देखकर साक्षी ने कहा कि मैं इनमें से किसी को नहीं पहचानता हूँ। मैंने इन मुल्जिमान को पत्थर फेकते, गोली चलाते नहीं देखा। मेरे द्वारा हाजिर अदालत मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया। जिरह के पृष्ठ 7 की तीसरी पंक्ति में कहा कि उक्त घटना की सूचना मुझे 19.45 बजे मिली, उस समय दिन छिप चुका था और रात हो चुकी थी, तब साक्षी ने 400-500 व्यक्तियों के एकत्रित होने का अंदाजा 50-60 मीटर दूर से कैसे लगाया और उनके हाथ में रात के अंधेरे में घातक आयुध, तमंचा और लाठी डन्डा कैसे देख लिया जबकि न्यायालय में हाजिर किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इंकार किया और उनके द्वारा ईट पत्थर फेकना और गोली चलाना नहीं कहा है। मुझे सूचना मिली कि मौ० बगीया, मौ० कुरेशियान और मोहम्मदगंज के लोग महिला को छेड़ने की अफवाह के आधार पर भीड़ के रूप में एकत्रित होकर पथराव कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसी महिला को छेड़ने का वाक्या मेरे प्रकाश में नहीं आया। यह भी प्रकाश में नहीं आया कि अफवाह फैलाने का सिलसिला कब शुरू हुआ, किसके द्वारा शुरू हुआ और कितने बजे शुरू हुआ। साक्षी को तथाकथित पीड़ित महिला भी नहीं मिली है जिसने कहा हो कि उसके साथ छेड़छाड़ की गयी हो और ना ही किसी महिला द्वारा उक्त घटना से सम्बन्धित कोई शिकायती प्रार्थनापत्र पत्रावली में दाखिल किया। घटनास्थल चौराहा है। आम रास्ता है। उस रास्ते से जनता स्कूटर, मोटर साइकिल, कार, ट्रक आदि भी निकलते है परन्तु इस साक्षी ने अथवा विवेचक ने किसी भी साक्षी का बयान अंकित नहीं किया गया और ना ही उसे न्यायालय में परीक्षित कराया जो घटना कथानक को अपनी साक्ष्य से साबित करता हो। साक्षी ने कहा की उनकी मौजूदगी में विवेचक द्वारा कोई बरामदगी नहीं की गयी है।

34- साक्षी- 2 का० प्रवीन कुमार ने अपनी जिरह में कहा कि मुझे बल्वा के बारे में आर०टी० सैट के जरीये आठ बजे शाम सूचना मिली। साढे आठ बजे में उर्वशी चौराहे पर पहुँच गया था। जब में उर्वशी चौराहे पर पहुँचा तो दुकाने बन्द थी। पुलिस बल से दूर गलीयों में पब्लिक थी जिसके द्वारा शोर शराबा किया जा रहा था। उर्वशी चौराहे में चारों तरफ गलीयाँ है। पब्लिक हमसे 50-60 मीटर दूर थी। पब्लिक में कौन दुकानदार था, कौन क्या था, उसमें किसी को मैं नाम व शक्ल से नहीं जानता था। मुझे आज तक यह जानकारी नहीं है कि ये कौन लोग थे जो उपद्रव्य कर रहे थे। मैं इस केस के जो भी मुल्जिमान बनाये गये है उन्हे नहीं जानता हूँ। मैंने अपने बयान धारा 161 सी०आर०पी०सी० में किसी मुल्जिमान का नाम नहीं बताया था। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं किया है।

- साक्षी- 3 का० दिनेश कुमार ने पी०डब्लू० 1 के कथनों का समर्थन करते 35-हुए अपनी जिरह में कहा कि उर्वशी चौराहे पर महिला को छेड़ने की सूचना, चुनावी माहौल को बिगाड़ने के लिए मिली थी। औरत के साथ छेड़छाड़ किसने की उनके नामों की सूचना नहीं मिली थी। जब हम उर्वशी चौराहे पर पहुँचे तब हमारे पास कोई पीड़ित महिला नहीं आयी थी। किसी भी व्यक्ति ने उस पीड़ित महिला का नाम पता, मौहल्ला नहीं बताया था। मौके पर 400-500 की भीड़ थी उनमें से किसी को नहीं पहचानता। रात का समय था। दरोगा जी को मैंने अपने बयानों में किसी का नाम पता नहीं बताया था क्योंकि मैं उनमें से किसी का नाम पता नहीं जानता था इसलिए मैंने अपने बयान में किसी का नाम पता नहीं बताया था। जो भी इस मुकदमें में मुल्जिमान पकड़े गये और आरोपपत्र में नाम आये उनकी शिनाख्त दरोगा जी ने मुझसे नहीं कराई और ना ही मुझसे पूछताछ की। हाजिर अदालत मुल्जिमान को दरोगा जी ने किस आधार पर मुल्जिमान बनाया यह वहीं बता सकते हैं। मैं इनमें से किसी को नहीं जानता। इस साक्षी ने पीड़ित महिला व मुल्जिमान को नहीं देखा क्योंकि रात हो गयी थी और अपने बयान में भी विवेचक को किसी मुल्जिमान का नाम नहीं बताया और यहाँ तक कहा कि विवेचक ने मुल्जिमान को कैसे आरोपित किया यह वहीं बता सकते है क्योंकि वह किसी मुल्जिमान को नहीं जानता पहचानता और ना ही विवेचक ने मुल्जिमानों की शिनाख्त इस साक्षी से कराई। इस साक्षी का कथन भी अभियोजन कथानक को समर्थित नहीं करता है।
- साक्षी- 4 विक्रम सिंह तोमर एस०आई० (सेवानिवृत्त) ने पी०डब्लू० 1 के 36-कथनों का समर्थन करते हुए अपनी जिरह में कहा कि दिनांक 17-02-2012 को मैंने वादी मुकदमा व जनता के गवाह मुकेश व पंकज की मौजूदगी में फर्द बनाई थी। फर्द बनाने का समय क्या था नहीं बता सकता और ना ही जी०डी० में अंकित किया। सील्ड बन्डल में पूरानी टूटी-फूटी चप्पले हैं मार्का नहीं लिखा है। कोई भी चप्पल जोड़े में नहीं है। वादी के बयान में किसी अभियुक्त का नाम नहीं आया है और ना ही बताया है। का०किशन सिंह, का० योगेश के बयानों में मुल्जिमानों के नाम आये हैं उन्हें मुल्जिमानों के नाम की जानकारी कहा से हुई, कैसे हुई, ना उन्होंने बताया ना ही मैंने पूछा, ये बुलाने पर आये थे जबिक दोनों साक्षियों ने अपने बयानों में कहा कि उन्हें मुल्जिमानों के नामों के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने विवेचक को किसी मुल्जिमान का नाम नहीं बताया था और वह आज भी मुल्जिमानों की शिनाख्त नहीं कर सकते। मैंने अपनी विवेचना में घटना के आसपास के निवासियों के बयान अंकित नहीं किये और ना ही किसी के घर में जाकर घटना की जानकारी की। गन्दा नाला घटना स्थल के पास ही है और गन्दे नाले के पास ही कूड़ा करकट रहता है। का० उस्मान व का० सुधीर ने किसी मुल्जिमान का नाम नहीं बताया। साक्षी ने पुनः कहा कि जब तक विवेचना मेरे पास रही गवाहान सुधीर, उस्मान, दिनेश, सचिन एवं वादी आशीष कुमार ने किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगण रूप से ईंट पत्थर फेंकने में नाम नहीं बताया। मेडिकल में अंकित चोटों की सत्यता एवं गम्भीरता जानने

के लिए किसी भी डाक्टर का बयान नहीं लिया। घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान मुझे दो खोखा कारतूस मिले थे परन्तु उन कारतूसों पर चोटों के निशान मुझे नहीं मिले। घटनास्थल भीड़-भाड़ वाला रोड़ का क्षेत्र है जहाँ आवागमन रहता है। खोखों की पैंदी पर 8 mmkf अंकित है लेकिन उसका उल्लेख फर्द बरामदगी में नहीं है। फर्द बरामदगी पर मुकेश कुमार गुप्ता व पंकज के हस्ताक्षर है। हमराही फोर्स व वादी आशीष के हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना सही है कि जिन मुल्जिमानों के नाम मैंने विवेचना में शामिल किये उनकी शिनाख्त वादी मुकदमा व उनके हमराहियान से नहीं कराई थी। यह कहना भी सही है कि दौरान विवेचना जिन मुल्जिमान के रूप में सामने आये उनके घटना में संलिप्त होने की जाँच जनता के किसी गवाह से नहीं कराई। ये साक्षी घटना का प्रथम विवेचक है जिसने घटनास्थल का निरीक्षण करके फर्द मौके पर जनता के गवाह मुकेश व पंकज की उपस्थित में बनाना कहा है परन्तु इस साक्षी ने मुकेश व पंकज को बतौर अभियोजन साक्षी नामित नहीं किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जिन गवाहों के बयान अन्तर्गत धारा 161 सी०आर०पी०सी० दौरान विवेचना दर्ज किये उसमें से किसी भी गवाह मुल्जिमानों का नाम नहीं बताया और व्यक्तिगण रूप से ईंट पत्थर फेंकने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया। विवेचक ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने केसडायरी में मेडिकल लगाये हैं परन्तु मेडिकल करने वाले डाक्टर का बयान केस डायरी में अंकित नहीं किया है। इस साक्षी ने घटनास्थल के आसपास घर एवं दुकानदारों में से किसी का भी बयान अंकित नहीं किया जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त होता। साक्षी ने आरोपित अभियुक्तों की शिनाख्त वादी मुकदमा व उनके हमराहीयान व जनता के किसी गवाह से नहीं कराई है। उपरोक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि विवेचक ने विवेचना को पूर्ण करने में लापरवाही की है तथा विधिक दायित्वों का पूर्णतः पालन नहीं किया है। इस साक्षी की साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

37- साक्षी- 5 राकेश कुमार एस०आई० ने पी०डब्लू० 1 के कथनों का समर्थन करते हुए अपनी जिरह में कहा कि सी०डी० के पर्चा 7 में साक्षी कमल सिंह द्वारा इस्लाम गंज के कुछ अराजक तत्वों घटना में शामिल होना कहा है। गवाह कमल सिंह, बलवीर सिंह, महेन्द्र सिंह, पंकज, भूपेन्द्र व रामसिंह के द्वारा भी केवल पथराव वाली बात आयी है एक दूसरे पर फायरिंग वाली बात किसी गवाह ने नहीं बताई। घटनास्थल पर मेरे द्वारा केवल मुकेश कुमार गुप्ता के सिवा किसी दुकानदार, मकानदार, ठेलेवाले का कोई बयान नहीं लिखा गया। विवेचना के दौरान मेरे पास आसपास का कोई पीड़ित व्यक्ति नहीं आया था और ना ही मैंने किसी से कोई सम्पर्क किया। आरोपपत्र में आवर राइटिंग होना स्वीकार किया। यह कहना सही है कि मुझ विवेचक द्वारा किसी भी अभियुक्त के नाम, पते, वित्वयत की कोई शिनाख्त नहीं की गयी। घटनास्थल काफी भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र है और घनी आबादी है। घटना में जनता के किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आयी। इस साक्षी ने 20 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोपत्र दाखिल किया

था, इसके अतिरिक्त अन्य किसी अभियुक्त के खिलाफ उसे कोई साक्ष्य नहीं मिली। इस साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने विवेचना के दौरान अभियुक्त इमरान, महताब, ताज व रिजवान के खिलाफ कोई साक्ष्य ग्रहण नहीं की। मुझे विवेचना ग्रहण करने वाले दिनांक को ही मुल्जिमान के नाम की जानकारी हो गयी थी परन्तु मुल्जिमानों के नाम की जानकारी व्यक्तिगत रूप से नहीं की। पूर्व विवेचक को यह जानकारी किस गवाह के बयान से हुई मुझे नहीं मालूम। मैंने आरोपपत्र उक्त नाम लिये गवाहान के बयान के आधार पर लगा दिया। जिनमें मुकेश कुमार गुप्ता पब्लिक का है शेष पुलिस के हैं। नक्शे में मुकेश कुमार गुप्ता की कोई लोकेशन नहीं है जहाँ से मुल्जिमान को मुकेश ने देखा हो। उक्त कथन नक्शानजरी के अवलोकन से स्वतः प्रमाणित है। मैंने ईंट पत्थर की कोई फर्द नहीं बनाई और ना ही कब्जे में लिए थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई मुल्जिमान नामजद नहीं था। जी०डी० में मुकदमें की कायमी, वादी के बयान लिखे जाने तक किसी मुल्जिमान का नाम प्रकाश में नहीं आया था अर्थात इस साक्षी को एफ०आई०आर० दर्ज होने से लेकर मुकदमा दर्ज होने तक तथा वादी के बयान लिखने तक मुल्जिमान कौन–कौन हैं व कितने हैं, के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

साक्षी ने स्वीकारा कि वादी मुकदमा एस०ओ० श्री आशीष द्वारा धारा 161 38-सी०आर०पी०सी० का बयान देने तक उसी थाने में तैनात गवाहान का० किशन सिंह, का० योगेश कुमार, का० उस्मान खां, का० दिनेश कुमार, का० सचिन कुमार ने अपने थानाध्यक्ष को नहीं बताया कि इस मुकदमें में शामिल किस-किस मुल्जिमान को वो शक्ल से पहचानते हैं। इस विवेचक द्वारा स्वीकार किया गया कि आर०टी० सैट के माध्यम से अतिरिक्त पुलिस बल मंगाने सम्बन्धित रिपोर्ट कन्ट्रोल रूप से लेकर विवेचना में शामिल नहीं की गयी और ना ही यह मालूम किया कि किस थाने से कितना फोर्स आया था और उसमें कौन-कौन पुलिस कर्मी अतिरिक्त फोर्स में शामिल थे। इन तथ्यों का उल्लेख पूर्व विवेचक ने भी अपनी विवेचना में नहीं किया है। साक्षी ने पुनः स्वीकार किया कि जब तक विवेचना मेरे पास रही तब तक विवेचना में प्रकाश में आये किसी मुल्जिमान की कोई शिनाख्त मेरे द्वारा मुकदमें के गवाहान पुलिस व पब्लिक से नहीं कराई गयी जो मुल्जिमान पकड़े जा चुके थे उनकी कोई शिनाख्त पूर्व विवेचक द्वारा भी नहीं कराई गयी। इस साक्षी के बयान से स्पष्ट है कि इस मामले के दोनों विवेचकों द्वारा घटना कारित होने के सम्बन्ध में पब्लिक व पुलिस के किसी भी साक्षी का बयान लेखबद्ध करने का प्रयास नहीं किया गया जिसने घटना का समर्थन किया हो और मुल्जिमान की शिनाख्त की हो। दोनों विवेचकों द्वारा फायरिंग होने वाली बात का समर्थन किसी गवाह से नहीं कराया है केवल पथराव होना कहा है परन्तु पथराव किनके द्वारा किया गया उन व्यक्तियों का नाम भी स्पष्ट नहीं किया गया है। इस साक्षी ने भी पब्लिक के गवाह मुकेश कुमार गुप्ता का नाम लिया है परन्तु मुकेश ने भी किसी मुल्जिमान की शिनाख्त नहीं की है और ना ही अभियोजन ने मुकेश को न्यायालय में परीक्षित कराया है। 400-500 व्यक्तियों द्वारा भीडभाड वाले स्थान उर्वशी

चौराहे पर ईंट पत्थर से पथराव किया गया परन्तु पब्लिक के किसी व्यक्ति को चोट न आना अभियोजन कथानक के प्रति संदेह उत्पन्न करता है जिसका समर्थन विवेचक ने अपने बयान में किया कि पब्लिक के किसी भी पीड़ित व्यक्ति ने नहीं कहा कि उसको चोट आयी है। उभय विवेचकों ने अपने बयानों में विशेष समुदाय के लोगों को लामबन्द करने के लिए कोई कथन किया हो या उस समय कौन से चुनाव का माहौल था इसको अपने बयानों में स्पष्ट नहीं किया है और केसडायरी में चुनाव सम्बन्धी कोई शासन आदेश शामिल नहीं किया है जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि उस समय चुनावी माहौल था जिसे मुल्जिमानों द्वारा बिगाड़ने का प्रयास किया गया। दोनों विवेचकों ने अपने बयानों में मुल्जिमान द्वारा किसी महिला को छेड़ने की घटना का समर्थन नहीं किया है और ना ही कोई पीड़ित महिला उनको मिली जिसने छेड़खानी किये जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र सम्बन्धित थाने में दिया हो जिससे अभियोजन कथानक को बल प्राप्त होता।

- 39- साक्षी- 6 का० योगेश कुमार ने पी०डब्लू० 1 के कथनों का समर्थन करते हुए अपनी जिरह में कहा कि किसी पब्लिक के आदमी ने सूचना दी थी कि किसी महिला के छेड़खानी कर दी है लेकिन यह खबर झूठी थी। उर्वशी चौराहे पर पथराव करने वालों में किसी को भी नहीं पहचान पाया और ना ही किसी को जानता हूँ। मेरे किसके पत्थर से चोट आयी थी मैं नहीं बता सकता। मैं आज भी किसी को नहीं पहचानता। मैंने विवेचक को किसी पत्थर मारने वाले का नाम नहीं बताया था और आज हाजिर अदालत मुल्जिमान में से किसी को भी नहीं पहचानता। हूं। मौके पर पब्लिक का कोई घायल व्यक्ति मुझे नहीं मिला था। घटनास्थल के आसपास की सभी दुकाने बन्द हो गयी थी। किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई घटना हुई हो तो मैं नहीं बता सकता। मेरी मौजूदगी में मौके पर भीड़ कन्ट्रोल हो गयी थी। कन्ट्रोल करने में दो घण्टे का समय लगा था।
- 40- साक्षी- 7 का० सुधीर कुमार ने पी०डब्लू० 6 के कथनों का समर्थन करते हुए अपनी जिरह में कहा कि मैं आज किसी भी मुल्जिमान की शिनाख्त नहीं कर सकता। मेरे चोट किसके पत्थर से आयी मैं नहीं बता सकता। फायर की मेरे कोई चोट नहीं आयी थी। ड्यूटी मेरी रात के आठ बजे से सुबह आठ बजे तक थी। सुबह आठ बजे ड्यूटी समाप्त करके उर्वशी टॉकीज पहुंचा। दोनों तरफ से पथराव हो रहा था, महिला से छेड़छाड़ हुई थी इसीलिए पथराव हो रहा था। मुझे किस मुल्जिमान की ईंट लगी नहीं बता सकता। मेरे कोई जाहिरा चोट नहीं थी गुम चोटें थी। किस महिला से छेड़खानी हुई यह जानकारी मुझे नहीं है। यह कहना सही है कि चुनावी माहौल के कारण झगड़ा नहीं हुआ था। झगड़ा महिला के कारण हुआ था। उपरोक्त दोनों साक्षी ने ईंट पत्थर से चोट लगना कहा परन्तु पत्थर किसने मारा उसको वह नहीं जानते। महिला से छेड़खानी की वजह से यह घटना होना कहा परन्तु वह महिला कौन थी, इन्होंने उसको देखा नहीं और ना ही उसे ढूंढने का प्रयास किया। दोनों साक्षी ने अपने बयान में कहा

कि उन्होंने विवेचक को मुल्जिमानों के नाम नहीं बताये थे और यहां तक कहा कि वह आज भी मुल्जिमानों को नहीं पहचानते हैं और ना ही शिनाख्त कर सकते हैं जबिक पी०डब्लू० 4 विवेचक ने अपने बयान में कहा था कि का० योगेश व का० सुधीर ने अपने बयान में मुल्जिमानों के नाम बताये थे। विवेचक का उक्त कथन इन साक्षियों के बयानों से स्वयं झूठा हो जाता है।

- साक्षी- 8 डा० अरविन्द कुमार अग्रवाल ने अपनी जिरह में कहा कि उसने का० योगेश कुमार, का० सुधीर चौधरी तथा वादी/थानाध्यक्ष आशीष कुमार सिंह की चोटों का मुआयना दिनांक 16-02-2012 को रात 10.30 के लगभग किया। तीनों व्यक्ति स्वयं मजरूबी चिह्नी लेकर डाक्टरी कराने जिला अस्पताल गये थे। इनके साथ कोई पुलिस कर्मी व अन्य कोई नहीं था जबिक उपरोक्त तीनों गवाहों ने अपने बयान में कहा कि उनकी डाक्टरी कराने के लिए पुलिस हमराहीयान उन्हें जिला अस्पताल ले गये थे। साक्षी ने आगे कहा कि सभी को साधारण चोटें आयी थीं किसी के जानलेवा चोट नहीं आयी थी। किसी भी घायल के वाइटल पार्ट पर चोट नहीं थी। किसी के भी फायर आर्म की चोट नहीं थी। तीनों आह्त साक्षियों ने अपने बयान में कहा कि उनके उक्त चोटें मुल्जिमान द्वारा ईंट पत्थर मारने से आय़ी है जबकि मुल्जिमानों ने उनके ऊपर जान से मारने की नियत से फायर भी किया था और विवेचक को मौके से दो खाली खोखे भी मिले है परन्तु उन खोखो पर किसी चोट का निशान नहीं है। डाक्टर ने किसी भी मजरूब को फायर आर्म से चोट आना नहीं कहा है और यह भी कहा की ऐसी साधारण चोटें चलने में गिर जाने से भी आ सकती है। वादी आशीष ने ईट पत्थर से अपने कान पर गम्भीर चोट आने से खून बहना व कपड़े खून से लथपथ होना कहा है जबकि मजरूब की आह्त आख्या में कान पर कोई चोट अंकित नहीं है और डाक्टर ने भी अपने बयान में केवल दो चोटे वादी को आना कहा है उनमें से कोई भी चोट वादी के कान पर नहीं है और ना ही उससे खून निकलना कहा है। डाक्टर साक्षी के बयान से यह स्पष्ट है कि तीनों चुटिहलों को आयी हुई चोटे साधारण प्रकृति की है जो जानलेवा नहीं है। किसी के भी वाइटल पार्ट पर चोट नहीं है और ना ही आग्नायुद्ध से चोट आना अंकित है। इस साक्षी से कथन से स्पष्ट है कि कोई भी चोट जानलेवा अथवा जान से मारने की नियत से नहीं पहुंची है बल्कि ऐसी चोट चलते में गिर जाने से आना भी सम्भव है। उक्त घटना में तीनों चुटिहलों को चोटें किस मुल्जिमान द्वारा कारित की गयी है ये साबित करने में अभियोजन पूर्णतः असफल रहा है।
- 42- पत्रावली में दाखिल प्रलेखीय/मौखिक साक्ष्य व उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वादी आशीष ने 400-500 व्यक्तियों के विरूद्ध थाना दक्षिण में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वे लोग उर्वशी चौराहे पर घातक हथियारों से सुसज्जित होकर आने जाने वाले राहिंगरों व दुकानदारों के ऊपर ईंट पत्थर फेंक रहे है जिससे लोगों में भगदड़ मच गयी है और लोग अपनी-अपनी जान बचाकर इधर उधर छिप रहे हैं। दुकानदार अपनी दुकान बन्द करके तथा अन्य लोग अपने घरों के खिड़की दरवाजे बन्द करके

घरों में बन्द हो गये हैं। उपरोक्त घटना महिला की छेड़खानी/चुनावी माहौल बिगाड़ने/जाति विशेष को लामबन्द करने की अफवाह के आधार पर दर्ज की गयी। वादी व अन्य साक्षियों ने समझाने का प्रयास किया तो उन्हें भी ईंट पत्थर से मारकर चोटे पहुँचाई और फायर भी किया।

- 43- उपरोक्त घटना को साबित करने के लिये अभियोजन ने तथ्य के पाँच साक्षी, दोनों विवेचकों एवं एक डाक्टर को परीक्षित कराया। तथ्य के साक्षियों ने अपनी साक्ष्य में मौके पर 400-500 व्यक्तियों की भीड़ घातक हथियारों से सुसज्जित होना कहा है। इनके द्वारा ईट पत्थर मारना व फायर करना कहा है। मुल्जिमानों एवं अभियोजन साक्षियों की दूरी 50-60 मीटर होना कहा है। घटना रात के समय होने के कारण अंधेरा होना भी कहा। किसी भी तथ्य के साक्षी ने किसी भी मुल्जिमान को पहचानने से इंकार किया और यह भी स्वीकार किया की दोनों विवेचकों में से किसी ने भी उनसे मुल्जिमानों की शिनाख्त नहीं कराई थी। विवेचक ने किसी मुल्जिमान की शिनाख्त पुलिस अथवा पब्लिक के किसी साक्षी/व्यक्ति से नहीं कराना स्वीकार किया है। विवेचक ने फर्द बरामदगी के समय केसडायरी में जनता के दो साक्षी मुकेश कुमार गुप्ता व पंकज को मौके पर मौजूद होना व उनकी उपस्थिति में फर्द बनाना कहा है परन्तु उपरोक्त दोनों साक्षियों को न्यायालय में साक्ष्य के लिए अभियोजन ने तलब नहीं कराया और विवेचक ने उनका नाम आरोप पत्र की साक्ष्य सूची में पुस्त पर अंकित नहीं किया।
- 44- विवेचक ने घटनास्थल से दो खोखा कारतूस 315 बोर बरामद किया और यह भी स्वीकार किया कि उन कारतूसों पर कोई चोट का निशान मौजूद नहीं था। विवेचक किसी भी मुल्जिम से तथाकथित 315 बोर का अग्नायुद्ध बरामद नहीं कर सके है जिससे उक्त कारतूस चलना कहा गया है। घटना में फायर करना कहा गया है परन्तु फायर किस मुल्जिम द्वारा किया गया इस तथ्य को अभियोजन के किसी साक्षी द्वारा साबित नहीं किया गया और किसी भी चुटैल को फायर आर्म की चोट नहीं पहुँची है। डाक्टर द्वारा अपनी चिकित्सीय आख्या में भी किसी मजरूब को फायर आर्म की चोट अाना नहीं कहा गया और ना ही अंकना की गयी।
- 45 वादी आशीष कुमार ने अपने कान पर ईंट पत्थर से गम्भीर चोट लगने के कारण बहुत सारा खून बहना कहा है जबिक डाक्टर ने प्रदर्श क-9 में कोई चोट वादी के कान पर लगना नहीं कहा है केवल दो चोटों का उल्लेख चिकित्सीय आख्या में किया है जो निचले जबड़े के किनारे पर सूजन आना और सूजन के ऊपर रगड़ने का निशान हेयर लाइन आना अंकित किया है। साक्षी ने कान की चोट के फलस्वरूप बहते हुए खून से कपड़े खराब होना कहा है परन्तु खून के सने हुई कपड़े विवेचक को नहीं दिखाये और ना ही विवेचक को दिये। ऐसी स्थिति में वादी के कान पर चोट आना, प्रमाणित न होने के आधार पर असत्य प्रतीत होती है। वादी/थानाध्यक्ष व दो पुलिस कॉस्टेबिल के अतिरिक्त जनता के किसी गवाह को कोई चोट आना नहीं कहा गया है और ना ही जनता के किसी व्यक्ति की आहत आख्या पत्रावली पर दाखिल है। साक्षी पी०डब्लू० 6 व पी०डब्लू० 7 ने अपने बयानों में कहा कि वह वादी आशीष

के साथ घटनास्थल पर गये थे और उन्हें चोट किस मुल्जिमान द्वारा फेंके गये पत्थर से लगी, उनको नहीं मालूम। फायर की चोट किसी को नहीं लगी थी। इन साक्षियों ने किसी अभियुक्त का नाम विवेचक को दिये गये बयान में नहीं बताया है और किसी साक्षी ने हाजिर अदालत मुल्जिमानों की शिनाख्त नहीं की है और उनके द्वारा ईंट पत्थर से मारना नहीं कहा गया है। विवेचक ने अपने बयानों में स्वीकार किया कि उन्होंने मुल्जिमानों की शिनाख्त पुलिस या जनता के किसी गवाह से नहीं कराई है।

- 46- तथ्य के सभी साक्षियों द्वारा किसी भी पीड़ित महिला को मौके पर नहीं देखा गया और किसी भी पीड़ित महिला ने उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में अभियोजन साक्षियों को अथवा थानाध्यक्ष को कोई मौखिक अथवा लिखित शिकायत नहीं की है कि उपरोक्त मुल्जिमानों द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ की गयी है। सभी अभियोजन साक्षियों द्वारा अपने बयान में कहा गया कि किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी। केवल झूठी अफवाह फैलायी गयी थी।
- 47- वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना की सूचना मिलने का समय 19.45 और उक्त घटना की रिपोर्ट उसी दिन थाना दक्षिण में रात्रि 10.00 बजे अंकित कराना कहा है और यह भी कहा कि आर०टी० सैट के माध्यम से उसने कन्ट्रोल रूम को अतिरिक्त पुलिस बल घटनास्थल पर भेजने के लिए सूचना दी थी। सूचना पाकर समस्त जिले की थाना पुलिस, दो सेक्शन पी०ए०सी०, पुलिस व प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने मौके पर पहुँचकर डेढ़ घण्टे के अन्दर 400-500 उपद्रवी व्यक्तियों को कैसे नियन्त्रित कर लिया। उपरोक्त साक्षियों के बयान अतिश्योक्ति पर आधारित प्रतीत होती हैं क्योंकि घटना की सूचना मिलने और थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने में मात्र सवा दो घण्टा लगा और उसी सवा दो घण्टे में जिले की समस्त थाना पुलिस मय दो सेक्शन पी०ए०सी०, पुलिस व प्रशासन के उच्चाधिकारियों का घटना स्थल पर पहुँचना व डेढ़ घण्टे में 400-500 उपद्रवी लोगों की भीड़ पर काबू पाना असम्भव प्रतीत होता है।
- 48- बहस के दौरान अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि वादी थाना दक्षिण का थानाध्यक्ष था और उसके द्वारा ही इस मुकदमें की एफ०आई०आर० थाना में दर्ज करायी गयी थी और विवेचना वादी ने अपने अधीनस्थ के माध्यम से कराई है जिसने वादी के प्रभाव में जाँच करते हुए अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि घटना की एफ०आई०आर० वादी आशीष कुमार द्वारा करायी गयी है जो थाना दक्षिण के थानाध्यक्ष थे और उन्होंने अपने थाने में ही नियुक्त पी०-डब्लू० 4 उपनिरीक्षक विक्रम सिंह तौमर को उक्त मामले की जाँच हेतु नियुक्त किया था और उनके बाद जाँच पी०डब्लू० 5 राकेश कुमार सिंह द्वारा की गयी है। उपनिरीक्षक पदानुसार थाना प्रभारी के अधीनस्थ है और उन्हों के द्वारा सम्पूर्ण जाँच करते हुए अभियुक्तगणों के विरुद्ध

आरोपपत्र प्रेषित किया है। नियमानुसार थानाध्यक्ष/वादी से उच्चाधिकारी/ विरष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा ही मामले की जाँच होनी चाहिए थी। इससे स्पष्ट है कि जाँच अपने अधीनस्थ के माध्यम से करायी गयी है। विवेचना में थानाध्यक्ष द्वारा हस्तक्षेप न किया गया हो इस तर्क से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियुक्त पक्ष के उक्त तर्क में बल प्रतीत होता है और इस तर्क का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित है।

- 49- अभियोजन के साक्षियों ने महिला के साथ छेड़छाड़ / चुनावी माहौल बिगाड़ने / जाति विशेष को लामबन्द करने के आशय से 400-500 उपद्रवी लोगों की भीड़ उर्वशी चौराहे पर एकत्र होकर आने जाने वाले राहगीरों और दुकानदारों पर ईंट पत्थर फेंकना और उनके द्वारा फायर किया जाना और घटनास्थल से दो खोखे भी बरामद होना कहा गया है, चुनाव किस पद के लिए था उक्त के सम्बन्ध में कोई शासनादेश पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है और किस जाति विशेष को लामबन्द करने के उद्देश्य से ईंट पत्थर फेंके जा रहे थे उसको भी अभियोजन द्वारा साबित नहीं किया गया है और उक्त घटना इन्हीं मुल्जिमान द्वारा कारित की गयी है यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष पूर्णतः असफल रहा है।
- 50- उपरोक्त विवेचन के आधार पर सभी अभियुक्तगण 1. मोहसिन, 2. सगीर पुत्र छोटे पहलवान, 3. जहूर पुत्र शकूर, 4. खलील उर्फ जला, 5. जमील दूरु 6. तनवीर 7. सगीर 8. मुबीन 9. राजू 10. गुलाम हुसैन, 11. हादी हसन अंसारी, 12. कमाल, 13. रहीस, 14. अजहर, 15. रहीशउद्दीन उर्फ भूरा पुत्र शमसुद्दीन, 16. संजय, 17. आकिल, 18. नासिर, 19. राजू पुत्र वसीर, 20. मौ० नईम पुत्र निजामुद्दीन, 21. मेहताब 22. सगीर उर्फ भेड़िया, 23. नईम पुत्र इस्लाम 24. नरूद्दीन, 25. फरमान पुत्र जहूर 26. अख्तर पुत्र नफीस 27. पोपट 28. ईमरान 29. रिजवान, 30. सलमान को सत्र परीक्षण संख्या 30/2016, मु०अ०संख्या 180/2012 अन्तर्गत धारा–147, 148, 307/149, 353, 336, 337 भा०दं०सं० व धारा 7 क्रि० लॉ अमेण्डमेंट एक्ट सरकार बनाम राजू आदि के अपराध से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

दिनांक 08-02-2021

(विजय कुमार आजाद) अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-7, फिरोजाबाद।

आदेश

- 51— अभियुक्तगण 1. मोहसिन, 2. सगीर पुत्र छोटे पहलवान, 3. जहूर पुत्र शकूर, 4. खलील उर्फ जला, 5. जमील दूरु 6. तनवीर 7. सगीर 8. मुबीन 9. राजू 10. गुलाम हुसैन, 11. हादी हसन अंसारी, 12. कमाल, 13. रहीस, 14. अजहर, 15. रहीशउद्दीन उर्फ भूरा पुत्र शमसुद्दीन, 16. संजय, 17. आकिल, 18. नासिर, 19. राजू पुत्र वसीर, 20. मौ० नईम पुत्र निजामुद्दीन, 21. मेहताब 22. सगीर उर्फ भेड़िया, 23. नईम पुत्र इस्लाम 24. नरूद्दीन, 25. फरमान पुत्र जहूर 26. अख्तर पुत्र नफीस 27. पोपट 28. ईमरान 29. रिजवान, 30. सलमान को सत्र परीक्षण संख्या 30/2016, मु०अ०संख्या 180/2012 अन्तर्गत धारा–147, 148, 307/149, 353, 336, 337 भा०दं०सं० व धारा 7 क्रि० लॉ अमेण्डमेंट एक्ट सरकार बनाम राजू आदि थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 52- अभियुक्त 1. मोहसिन प्रस्तुत प्रकरण में जिला कारागार, फिरोजाबाद में निरूद्ध है। अतः उसका रिहाई परवाना बनाकर, उक्त प्रकरण में अधीक्षक, जिला कारागार फिरोजाबाद को तत्काल अनुपालन हेतु भेजा जाये।
- 53 अभियुक्तगण 2. सगीर पुत्र छोटे पहलवान, 3. जहूर पुत्र शकूर, 4. खलील उर्फ जला, 5. जमील दूरु 6. तनवीर 7. सगीर 8. मुबीन 9. राजू 10. गुलाम हुसैन, 11. हादी हसन अंसारी, 12. कमाल, 13. रहीस, 14. अजहर, 15. रहीशउद्दीन उर्फ भूरा पुत्र शमसुद्दीन, 16. संजय, 17. आकिल, 18. नासिर, 19. राजू पुत्र वसीर, 20. मौ० नईम पुत्र निजामुद्दीन, 21. मेहताब 22. सगीर उर्फ भेड़िया, 23. नईम पुत्र इस्लाम 24. नरूद्दीन, 25. फरमान पुत्र जहूर 26. अख्तर पुत्र नफीस 27. पोपट 28. ईमरान 29. रिजवान, 30. सलमान जमानत पर है, उनके जमानतनामें एवं बन्ध-पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को जमानत के उत्तरदायित्व से उन्मोचित किया जाता है।
- 54- अभियुक्तगण 1. मोहसिन, 2. सगीर पुत्र छोटे पहलवान, 3. जहूर पुत्र शकूर, 4. खलील उर्फ जला, 5. जमील दूरु 6. तनवीर 7. सगीर 8. मुबीन 9. राजू 10. गुलाम हुसैन, 11. हादी हसन अंसारी, 12. कमाल, 13. रहीस, 14. अजहर, 15. रहीशउद्दीन उर्फ भूरा पुत्र शमसुद्दीन, 16. संजय, 17. आकिल, 18. नासिर, 19. राजू पुत्र वसीर, 20. मौ० नईम पुत्र निजामुद्दीन, 21. मेहताब 22. सगीर उर्फ भेड़िया, 23. नईम पुत्र इस्लाम 24. नरूद्दीन, 25. फरमान पुत्र जहूर 26. अख्तर पुत्र नफीस 27. पोपट 28. ईमरान 29. रिजवान, 30. सलमान को सत्र परीक्षण संख्या 30/2016, मु०अ०संख्या 180/2012 अन्तर्गत धारा–147, 148, 307/149, 353, 336, 337 भा०दं०सं० व धारा 7 क्रि० लॉ अमेण्डमेंट

एक्ट सरकार बनाम राजू आदि थाना दक्षिण, जिला फिरोजाबाद को निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा धारा 437(ए) द०प्र०सं० के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर मु० 20,000/- रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू तत्काल प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक 08-02-2021

(विजय कुमार आजाद) अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-7, फिरोजाबाद।

उपरोक्त निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

दिनांक 08-02-2021

(विजय कुमार आजाद) अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-7, फिरोजाबाद।